विविध बैंक प्रकरण संख्या 116/2022 (GCMS : 2022/165) भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री मनीष कुमार शाखा प्रबन्धक, शाखा सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर बनाम 1. (ऋणी सीसी ऋण खाते में) मैसर्स श्री राम कूलर फैक्ट्री जरिये प्रो. राजकुमार पुत्र महेन्द्र सिंह 2. (ऋणी गृह ऋण खाते में) श्री राज कुमार पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी नया वार्ड नं 16 (पुराना ...), नजदीक पीरखाना सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25.07.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा की पर्चा पैरवी पर श्री मंगतराम अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.06.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मैसर्स श्री राम कूलर फैक्ट्री-प्रो. राज कुमार (ऋणी सीसी ऋण खाते में) एवं श्री राज कुमार (ऋणी गृह ऋण खाते मे) को ऋण सुविधा के रूप में 26.90/- लाख रूपये (अखरे रूपये छब्बीस लाख नब्बे हजार मात्र) (गृह ऋण खाते में 11.90/- लाख दिनांक 10.03.2015 एवं सीसी ऋण खाते में 15.00 लाख दिनांक 12.03.2015) का ऋण स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी राज कुमार ने **दृष्टिबंधक स्टॉक एवं अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान स्थित वार्ड नं. 11(क्षेत्रफल 20′ गुणा 39′ वर्गफुट), नजदीक व्यापार मण्डल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक ...2022 को ... परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ... दिनांक 18.01.2022 को 26,70,623/-रूपये ऋण राशि व ... पश्चात के ब्याज ... खर्चे अतिरिक्त के बकाया है **जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

60 दिवस का नोटिस दिनांक 18.01.2022 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के उक्त नोटिस पर अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.02.2022 को भिजवाये गये है। धारा 13(2) के नोटिस **की पावती के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है।** इसलिए अप्रार्थी ऋणी राज कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक के पास रहन रखा **दृष्टिबंधक स्टॉक एवं अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान स्थित वार्ड नं. 11(क्षेत्रफल 20' गुणा 39' वर्गफुट), नजदीक व्यापार मण्डल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैंने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण** मैसर्स श्री राम कूलर फैक्ट्री–प्रो. राज कुमार (ऋणी सीसी ऋण खाते में) एवं श्री राज कुमार (ऋणी गृह ऋण खाते मे) को 26.90/– लाख रूपये (अखरे रूपये छब्बीस लाख नब्बे हजार मात्र) (गृह ऋण खाते में 11.90/– लाख दिनांक 10.03.2015 एवं सीसी ऋण खाते में 15.00 लाख दिनांक 12.03.2015) का ऋण की स्वीकृति **प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी राजकुमार ने **दृष्टिबंधक स्टॉक एवं अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान स्थित वार्ड नं. 11(क्षेत्रफल 20' गुणा 39' वर्गफुट), नजदीक व्यापार मण्डल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 06.11.2021 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एनपीए)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 18.01.2022 को जारी किये गये है

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

तथा पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.02.2022 को भिजवाये गये। जिसकी पावती के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/ जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी राज कुमार का **दृष्टिबंधक स्टॉक एवं अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान स्थित वार्ड नं. 11 (क्षेत्रफल 20′ गुणा 39′ वर्गफुट), नजदीक व्यापार मण्डल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर,** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 18.01.2022 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 18.01.2022 को 60 दिवस में रा[illegible] करवाने का धारा 13(2) के जारी नोटिस अप्रार्थी रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.02.2022 को भिजवाये जाने की रसीद पत्रावली में उपलब्ध है एवं अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति के परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑनलाईन ट्रेक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी राज कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और राज कुमार का **दृष्टिबंधक बंधक रखा गया स्टॉक एवं अचल रिहायशी सम्पत्ति मकान स्थित वार्ड नं. 11(क्षेत्रफल 20' गुणा 39' वर्गफुट), नजदीक व्यापार मण्डल, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:39:38 IST
Reason: SelfAttested

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर